किस्म.....

.....उनवान.....

लय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

Not Press

1.2 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने अवगत कराया कि वादी प्रकरण आगे चलाने में इच्छुक नहीं है। वादी ने प्रकरण नोटिस में खारिज कराना चाहा है। अतः मु० नं० 281/2021 वाला सुशीला बनाम देवीलाल नोटिस में खारिज किया जाता है। पत्रावली सिरस्तेदार हुमायूं कर नम्बरदार को कायम है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.23 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested